गन्ना विकास विभाग द्वारा वर्तमान में गन्ना कृषकों के लाभार्थ हेतु तीन योजनाएं संचालित है।

1) जिला योजना

2) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना

3) आत्मा योजना

1) जिला योजना - जिला योजना के अंतर्गत दो उपयोजनाएं संचालित है।

(A)- सघन विकास योजना - इसके अंतर्गत तीन कार्यक्रम संचालित है। जिसका उद्देश्य उन्नतशील प्रजातियों का विस्तार एवं अधिक उत्पादन है।

(B)- उन्नतशील बीज उत्पादन कार्यक्रम

B-(a)उन्नतशील बीज उत्पादन कार्यक्रम :- इस कार्यक्रम के अंतर्गत शोध केन्द्रों से केन्द्रक बीज मंगाकर बीज संबर्धन हेतु प्रगतिशील किसानो के खेतों पर आधार एवं प्राथमिक पौधशालाये रखवाई जाती है। तथा पौधशाला धारक कृषकों को आधार पौधशाला पर 1000रु० तथा प्राथमिक पौधशाला पर 500 रु० प्रति हे०.अनुदान दिया जाता है। कृषक अनु०.जा०./अनु०.ज०.जा.का होने पर अनुदान की धनराशी दोगुनी हो जाती है।

(b) बीज /भूमि उपचार कार्यक्रम:-गन्ने की फसल की रोग व कीटों से सुरक्षा करने हेतु गन्ना समितियों के माध्यम से आपूर्तित कीटनाशी रसायनों की खरीद पर कृषकों को 2500 T.C.D. या कम क्षमता वाली मिल क्षेत्रों में 25% तथा अधिक क्षमता वाली मिल क्षेत्रों में 12.5% अनुदान दिया जाता है।

(c) पेड़ी प्रबंधन:- पेड़ी फसल की अधिक पैदावार लेने हेतु फसल सुरक्षा रसायनों की समिति के माध्यम से खरीद पर उपरोक्तानुसार अनुदान दिया जाता है।

(d) सड़क निर्माण योजना :-गन्ना कृषको के आवागमन तथा गन्ना ढुलाई व्यवस्था की सुगमता के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में पक्की सड़कों का निर्माण कराया जाता है। जिसकी लागत का 60% सरकार द्वारा तथा 40% कार्यकारी संस्थाओ / चीनी मीलों द्वारा वहन किया जाता है।

2) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना :- इसके अंतर्गत गन्ने की उत्पादकता एवं चीनी परता में बढ़वार

हेतु निम्नवत कार्यक्रम संचालित किये जा रहे है।

(a) अभिजनक बीज उत्पादन कार्यक्रम:- शोध केन्द्रों एवं प्रगतिशील कृषकों के फार्मों पर अभिजनक बीज का उत्पादन कराया जाता है। तथा बीज वितरण पर उत्पादक को 100/- रु० प्रति कु०.प्रोत्साहन धनराशि दी जाती है।

(b) गन्ना बीज उत्पादन :-उपरोक्त कार्यक्रम के अनुसार तैयार अभिजनक बीजों से प्रगतिशील किसानो के यहाँ आधार पौधशालाएं तैयार की जाती है। इसके पश्चात् प्राथमिक पौधशाला का बीज सामान्य बुवाई हेतु कृषकों में वितरण कराया जाता है। आधार पौधशाला से बीज वितरण पर 50/- रु० कु. तथा प्राथमिक पौधशाला से बीज वितरण पर 25/- रु० कु० प्रोत्साहन धनराशि दी जाती है। एक किसान को आधार पौधशाला हेतु अधिकतम 25 कु०.एवं प्राथमिक पौधशाला हेतु अधिकतम 50 कु०. बीज दिया जा सकता है। अधिकतम दो वर्ष के पश्चात् लाभार्थी कृषक बदल दिए जाते है।

(c) बीज यातायात :- अभिजनक बीज के यातायात हेतु 15/- रु० कु. तथा आधार बीज के यातायात हेतु 7/- रु० कु. या वास्तविक जो कम हो की दर से यातायात अनुदान दिया जाता है।

(d) प्रक्षेत्र प्रदर्शन :- कृषको को गन्ने की आधुनिक खेती के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मिश्रित खेती, पेड़ी प्रबंधन,ट्रेंच विधि,एकीकृत कीट एवं रोग प्रबंधन,समन्वित पोषण प्रबंधन आदि सम्बन्धी 0.5 हे०.के प्रदर्शन प्लाट रखाए जाते है, तथा प्रति प्रदर्शन 15000/- रु अनुदान दिया जाता है। अनुदान का 50% सामग्री के रूप में तथा 50% चेक द्वारा दिया जाता है। लघु एवं सीमांत अनु०.जा०./अनु०.ज०.जा.के कृषको के लिए प्लाट आकार 0.2 हे०. तक कम किया जा सकता है। तथा अनुदान भी तदनुसार कम कर दिया जाता है।

(e) कृषि यन्त्र वितरण :- कृषि यंत्रो के वितरण पर 50% अनुदान दिया जाता है, जो मानव चालित यंत्रो पर अधिकतम 500/- रु०, बैल चालित यंत्रो पर अधिकतम 2500/- रु०, तथा ट्रेक्टर चालित यंत्रो पर अधिकतम 3000/- रु०.हो सकता है। ट्रेंच प्लाटर,ट्रेंच ओपनर,रोटावेटर,टिलर हैरो,पावर स्प्रयेर आदि यंत्रो के वितरण को प्राथमिकता दी जाती है।

(f) माइक्रोन्यूट्रेंट वितरण :- भूमि में सूक्ष्म पोषक तत्वों की पूर्ति हेतु सूक्ष्म तत्वों युक्त उर्वरक रसायनों के वितरण पर 50% या अधिकतम 1000/-रु० प्रति हे० अनुदान दिया जाता है।

(g) मृदा परीक्षण प्रयोगशाला :-सूक्ष्म पोषक तत्वों की भूमि में कमी के आकलन हेतु चीनी मिलो में सूक्ष्म पोषक तत्वों की परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना हेतु लागत का 50% अधिकतम 20 लाख रु. अनुदान दिया जाता है।

(h) जिला स्तरीय किसान मेला :- इसके आयोजन हेतु प्रति वर्ष 1 लाख रु .प्रति मेला दिया जाता है।

(i) कृषको का प्रशिक्षण :- कृषको के प्रशिक्षण हेतु प्रति कृषक 125/- रु व्यय की व्यवस्था है।

(j)उत्पादकता पुरस्कार :- जिला मण्डल एवं प्रदेश स्तर पर अधिक उत्पादन लेने वाले कृषकों को उत्पादकता पुरस्कार दिये जाते है। इसके अतिरिक्त विभागीय एवं चीनी मिल अधिकारियों एवं कर्मचारियों का प्रशिक्षण एवं प्रोत्साहन की भी व्यवस्था की गई है।

3) आत्मा योजना :- इसके अंतर्गत कृषको का अंतराज्जीय/राज्य स्तरीय/जिला स्तरीय प्रशिक्षण एवं एक्स्पोजेर विजिट,फार्म स्कूल का गठन प्रक्षेत्र प्रदर्शन,कृषक पुरस्कार आदि की व्यवस्था है।

(a) प्रक्षेत्र प्रदर्शन - रु०.4000/-प्रदर्शन 0.4 हे०

ऍफ़ टू ऍफ़ प्रदर्शन -रु०.1500/-प्रदर्शन

(b) एक्स्पोजर विजिट -(अधिकतम 10 दिन)

अंतर्राज्यीय- 600/- रु / कृषक / दिन

राज्य स्तरीय- 300/- रु / ,, ,,

जनपद स्तरीय - 250/- रु / ,, ,,

(c) प्रशिक्षण

अंतर्राज्यीय- 1000/- रु०, कृषक / दिन

राज्य स्तरीय-750/- रु०. ,, ,,

जिला स्तरीय 400/- रु०. ,, ,,